भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1580 का उत्तर

गंगापुर सिटी रेल मार्ग पर अंडरपास

1580. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दौसा-गंगापुर सिटी रेल मार्ग पर अंडरपास का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त रेल मार्ग पर अंडरपास में पानी भरने के कारण सड़क बंद होने से होने वाली समस्याओं से राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार लोगों की समस्याओं को देखते हुए डूंगरपुर (लालसोट) में नए अंडरपास का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक कराए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): वर्तमान में, दौसा-गंगापुर सिटी रेल लाइन पर कुल 66 अदद निचले सड़क पुल (आरयूबी)/अंडरपास स्थित हैं।

रेलवे ने भूमिगत पैदल पार पथों (सबवे) में जलजमाव की समस्या को कम करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। नए निचले सड़क पुलों (आरयूबी)/भूमिगत पैदल पार पथों (सबवे) की योजना में पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था को अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। मौजूदा निचले सड़क पुलों (आरयूबी)/भूमिगत पैदल पार पथों (सबवे) में जल प्रवाह को निकटवर्ती पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंच मार्गों पर कवर शेड की व्यवस्था, निचले सड़क पुलों

(आरयूबी) के मुहाने पर हम्प का निर्माण, क्रॉस नालियों का प्रावधान, ज्वाइंटों को सील बंद करना आदि जैसे सुधारात्मक उपाय व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं। तेजी से जल निकासी करने के लिए चिह्नित निचले सड़क पुलों (आरयूबी) हेतु पंपिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य बारिश की परिस्थिति में सड़क यातायात को रोकने के प्रावधान के साथ अतिसंवेदनशील एलएचएस सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत पैदल पार पथों पर चौकीदार भी तैनात किए जा रहे हैं।

दोसा-गंगापुर खंड पर डीडवाना-लालसोट के बीच 01 अदद निचले सड़क पुल अंडरपास के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों को पूरा करना और उन्हें चालू करना रेलफाटक को समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र के लिए वर्ष में कार्य करने की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।